



2026:AHC:180216

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 31933 वर्ष 2026

दयाशंकर @ दयालू आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : सोमदेव दीक्षित

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 79

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा सत्र वाद संख्या 733 वर्ष 2026 (राज्य बनाम दयाशंकर@दयालु) में पारित आदेश दिनांक 14.07.2026 को निरस्त किए जाने की मांग के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 676 वर्ष 2021, धारा 323, 324, 308, 506 भा.दं.सं., थाना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद से उत्पन्न हुआ है, जिसमें आवेदन निरस्त कर दिया गया था।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक को झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उसके द्वारा कथित रूप से कोई अपराध कभी कारित नहीं किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि घायल को कुछ चोटें आई थीं, जिनकी संबंधित चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय जांच की गई है, किंतु साथ ही आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घायल को जो चोटें आई थीं, वे आवेदक द्वारा कारित नहीं की गई थीं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मामला साक्षियों की परीक्षा के साथ-साथ उन अन्य साक्षियों की परीक्षा से संबंधित है, जिनके नाम विवेचना के दौरान दिए गए हैं। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि कथित घटना के साथ आवेदक को जोड़ने के लिए उसके विरुद्ध शायद ही कोई साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु उक्त तथ्यों पर विचार किए बिना, आवेदक की ओर से उसे कथित अपराध के किए जाने से उन्मोचित किए जाने हेतु प्रस्तुत उन्मोचन आवेदन को संबंधित विद्वान न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से साक्ष्य के भार के विपरीत अवैध रूप से निरस्त कर दिया गया है और अतः उसे निरस्त किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन में की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया तथा आक्षेपित आदेश का समर्थन किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक की ओर से उठाए जाने वाले तर्क विवादित तथ्यों के प्रश्न से संबंधित होंगे तथा उनमें साक्ष्य का मूल्यांकन सम्मिलित होगा। यह प्रस्तुत किया गया कि उन्मोचन के आवेदन पर विचार के चरण में केवल प्रथमदृष्टया मामला देखा जाना है और संबंधित न्यायालय से लघु विचारण करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
5. उन्मोचन का आदेश पारित करते समय शक्तियों के प्रयोग की सीमा एवं क्षेत्र जो कि **यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल और अन्य [(1979) 3 SCC 4]** के मामले में विचार का विषय था और यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालय को विचारण न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए तथा केवल इस सीमित प्रश्न पर अपनी राय बनानी चाहिए कि क्या प्रथमदृष्टया मामला बनता है।
6. पी. विजयन बनाम केरल राज्य और अन्य (2010) 2 SCC 398 के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि यदि विचारण न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह आरोप निर्धारित करेगा और साक्ष्य तथा संभावना का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है; यह विचारण प्रारंभ होने के पश्चात किया जाना है। उन्मोचन आवेदन पर विचार किए जाने के चरण में न्यायालय को यह नहीं देखना है कि विचारण दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति में समाप्त होगा या नहीं।
7. इसी संदर्भ में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने **तमिलनाडु राज्य बनाम एन. सुरेश राजन और अन्य 2014 (84) ACC 656** के मामले में यह प्रतिपादित किया है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्मोचन आवेदन पर विचार किए जाने के चरण में न्यायालय को इस धारणा के साथ आगे बढ़ना होता है कि अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री सत्य है। अतः न्यायालय को केवल यह पता लगाना होता है कि अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाए गए तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं।

8. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संबंधित विद्वान न्यायालय ने मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार करने के पश्चात उन्मोचन के आवेदन को यह अभिनिर्धारित करते हुए उचित रूप से निरस्त किया है कि आवेदक के विरुद्ध प्रथमदृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से बनता है और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित विद्वान न्यायालय ने बिना विवेक का प्रयोग किए कार्य किया है। संबंधित विद्वान न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क न्यायोचित एवं उचित है। ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही आरोप निर्धारित किए जाने के चरण तक पहले ही आगे बढ़ चुकी है।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदन में कोई बल नहीं है और एतद्वारा इसे निरस्त किया जाता है।

31 अगस्त, 2026

आशीष/

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।